

कार्यालय प्रधान अधिकारी
लोक स्वारश्य योग्यता भौमिका
संसदीय पालन व्यवस्था

क्रमांक
प्रति,

3845

समस्त कार्यपालन बंद्री,

लोक स्वारश्य योग्यता की किंगा,

सेविल / परियोजना / मेकोनिकल,

खंड

विषय:-

वर्षा ऋतु के प्रारंभ के पूर्व पेयजल प्रदाय व्यवस्था का उचित रख-रखाव हेतु दिशा निर्देश।

—00—

जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है एवं इस ऋतु में दूषित जल और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। अतः पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जावे एवं पेयजल के प्रत्येक स्रोत को दूषित होने से बचाने का भरसक प्रयास किये जावे। इस बाबत विशेष तौर पर निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जावे :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों की नलजल योजनाओं के लिए भी पंचायत को सुझाव दे कि वे क्लोरिन / ब्लीचिंग पाउडर की समुचित मात्रा इन जल प्रदाय हेतु उपलब्ध रखे तथा इसका टंकी / वितरण प्रणाली आदि में समुचित मात्रा में नियमित रूप से मिलाया जाना आवश्यक है। ब्लीचिंग पाउडर को उचित रूप से भंडारन किया जावे जिससे प्रभावी गुण नष्ट न हो।
2. सभी स्थानीय निकायों को सुझाव देवे कि वे उनके अधीनस्थ सभी जल प्रदाय गृहों के स्रोत, संयंत्र, टंकी एवं वितरण प्रणाली तत्काल निरीक्षण कर उपचार हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों तथा रसायनों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। नगरीय क्षेत्र के वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर लगभग 0.2 से 0.5 पी.पी.एम. रेसिड्यूएल क्लोरिन पायी जाती रहे, सुनिश्चित कर लिया जावे।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैंडपंप के आस-पास गंदगी, कीचड़ आदि जमा न होने पावे एवं पर्याप्त साफ-सफाई रखी जावे। इस कार्य में जन सहयोग हेतु समुचित प्रचार-प्रसार किया जावे।
4. कई स्थानों पर हैंडपंपों के प्लेटफार्म एवं निकास नाली या तो निर्मित नहीं है या टूटे-फूटे हैं। ऐसी स्थिति में हैण्डपंपों के आस-पास की गंदगी मिट्टी से रिसकर भू-जल को प्रदूषित कर सकती है। अतः हैंडपंपों के आस-पास आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराया जावे। मिट्टी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के हैंडपंपों के आस-पास क्षेत्रों पर सुधार कार्य हेतु विशेष ध्यान दिया जावे, जहां गंदा पानी रिसकर भू-जल को अधिक प्रदूषित कर सकता है।

निरंतर... 2

